

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 5265/2026

Kapil Gurjar S/o Shri Khyaliram Gurjar, Aged About 18 Years, R/o Dhani Mairdhala, Tan Ganeshwar, Tehsil Neem Ka Thana, District Sikar (Raj.)
(At Present Accused Petitioner Confined Sub Jail Neem Ka Thana).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajsthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vidhut Kumar Gupta Ms. Manisha Solera
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Vikash Kumar Jakhar with Mr. Sanju Bulduk

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

06/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना नीम का थाना सदर, सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 307, 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। चिकित्सक द्वारा आहत सुभाष के शरीर

पर आई चोटें प्राणघातक होना नहीं बताया गया है। परिवादी प्रकाशचंद सैनी पीडब्ल्यू 1 के रूप में और आहत सुभाषचंद पीडब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित हो चुका है। पीडब्ल्यू 1 प्रकाशचंद सैनी के बयान से यह तथ्य सामने आया है कि परिवादी पक्ष और अभियुक्त पक्ष के मध्य घटना से पूर्व साम्प्रतिक व अन्य प्रकरण लंबित रहे हैं। उस कारण से यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त व हंसराज के मध्य जो वार्तालाप हुई, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त की आवाज थी, इस संबंध में अब तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नाम नहीं है। पीडब्ल्यू 3 सुभाषचंद ने भी विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई विनिर्दिष्ट चोट पहुंचाई हो। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत सुभाष चंद के सगे भाई से पांच लाख रुपये प्राप्त करके सुभाष चंद के साथ गंभीर मारपीट करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है इसलिए उसने सोची समझी रणनीति के तहत सुभाष के सिर पर चोट नहीं पहुंचाकर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 6 चोटें पहुंचाई, जिनमें अस्थिभंग भी है, उसका ऑपरेशन भी हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 5 लाख रुपए, सरिया और मोटरसाईकल बरामद हुई है। अभियुक्तगण के वाट्सऐप पर हुई वार्ताओं की रिकॉर्डिंग से भी यह स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इनको घटना कारित करने के लिए प्रयोग में लिया गया था। प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सुभाष को मारने के उद्देश्य से शरीर पर चोटें कारित की गई थीं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में आहत पीडब्ल्यू 3 सुभाष चंद के रूप में परीक्षित हुआ है। उसने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि 3 लड़के मोटरसाईकिल पर बैठकर आए और अपनी मोटरसाईकिल को बाईपास से नीचे हमारे रास्ते पर आगे जाकर रास्ता रोक लिया, जिसमें से एक लड़का, नवीन पास आया और बोला— “सुभाष आप ही हो?” और कहा कि “तू रामनिवास पीटीआई को बहुत परेशान करता है,” उसके पश्चात पीछे से एक लड़के ने मेरा मुंह भींचकर नाड़ मरोड़कर नीचे पटक दिया और मुझ पर चाकू से वार करने लगा। तभी उन लड़कों में से कपिल बोला कि “दिनेश मुंह भींच,” फिर दिनेश बोला कि “मार हंसराज, मार कपिल।” फिर ये लोग मेरे को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिए। मेरे शरीर, हाथों, व पैरों से बुरी तरह से खून निकलने लग गया और मेरे दाहिने पैर को बुरी तरह से तोड़ दिया था। पीडब्ल्यू 3 सुभाषचंद के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह विनिर्दिष्ट कृत्य नहीं है कि उसने आहत सुभाषचंद के शरीर के किस भाग पर किस वस्तु से चोट पहुंचाई। परिवादी पीडब्ल्यू 1 प्रकाशचंद सैनी के बयान से यह तथ्य सामने आया है कि परिवादी पक्ष और अभियुक्त पक्ष के मध्य घटना से पूर्व साम्प्रतिक व अन्य प्रकरण लंबित रहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.07.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में परिवादी और आहत सुभाष के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं। चिकित्सक द्वारा आहत सुभाष के शरीर पर आई चोटें प्राणघातक होना नहीं बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को द्वितीय जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कपिल गुर्जर पुत्र ख्यालीराम गुर्जर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश

दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J